आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

22 SEP 2022

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांकः–

अधिसूचना

राजस्थान, भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (4) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं नियम 16 के उपनियम (4) के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 3 की तालिकाओं को अतिक्रमित करते हुये राज्य सरकार निम्न तालिका अनुसार प्रीमियम दरें प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में निर्धारित करती है अर्थात–

1. कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजन हेतु प्रीमियम दरें–

तालिका

रूपये प्रति वर्ग मीटर में

क्र. स.	प्रयोजन	क्षेत्रफल (व.मी.)	नगर निगम (संबंधित प्राधिकरण/न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर परिषद (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर पालिका (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)
1.	आवासीय	500 व.मी. तक (न्यूनतम दर)	100	75	50
		500 व.मी. से अधिक	200	150	100
2.	मिश्रित	300 व.मी. तक	200	100	75
		300 व.मी. से अधिक	300	200	100
3.	वाणिज्यिक	300 व.मी. तक	200	100	75
		300 व.मी. से अधिक	400	300	200
4.	ग्रुप हाउसिंग	5000 व.मी. एवं इससे अधिक	उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर के समान		
5.	फार्म हाउस	450 रूपये प्रति वर्गमीटर भू–आच्छादित क्षेत्र पर			
6.	डेयरी प्रयोजन	प्रथम 1,000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत			
7.	पर्यटन इकाई (होटल/मोटल/रिसोर्ट/एम्यूजमेंट पार्क आदि) एवं औद्योगिक	प्रथम 5,000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत			

Scanned with CamScanner

8.	जन सुविधाओं–अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्टस कॉम्पलैक्स, धार्मिक व अध्यात्मिक संस्थाये	प्रथम 10,000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
9.	इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स–ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट, कन्टेनर डिपो	प्रथम 20,000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दरे एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
10.	धार्मिक व चैरिटेबल संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थानिक	प्रथम 40,000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत

नोटः–

1. अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या में 1 व 3 की तालिका के अतिरिक्त शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।
2. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नियम 10 के उपनियम (2) के अन्तर्गत प्रीमियम दरों में दी गई छूट यथावत रहेगी।

उक्त प्रीमियम दरें वित्त विभाग की आई डी संख्या – 102204808 दिनांक 20.09.22 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner